(68)

(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

प्रकरण कमांक 3746–एक/2015 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 29–3–2014 – पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर – प्रकरण कमांक 01/2013–14 अपील

1– सरबजीत कौर पत्नि मेजर सिंह जाट
2– अमरजीत कौर पत्नि गुरूचरण सिंह
3– बलजीत कौर पत्नि महेन्द्र सिंह
4– कु0महेन्द्र सिंह पुत्री प्रीतम सिंह सैनी
5– गुरूचरण सिंह पुत्र प्रीतम सिंह सेनी
6– रामकिशन पुत्र सज्जन सिंह कुम्हार
सभी निवासी ग्राम गोवर्धा खुर्द
तहसील कराहल जिला श्योपुर कलॉ --- आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन --- अनावेदक

(आवेदकगण की ओर से श्री बीर सिंह जादौन अभिभाषक)
(अनावेदकगण के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 10 जून, 2016 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 01/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–3–2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार कराहल व्दारा प्रकरण कमांक 40 अ–19/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 2.6.2005 से ग्राम गोवर्धा खुर्द में कुल 10 भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का आवन्टन किया। इस आदेश के विरूद्ध पूरन सिंह सिसोदिया निवासी

ग्राम गोवर्धा खुर्द ने अनुविभागीय अधिकारी, कराहल के समक्ष वर्ष 2013-14 में अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर ने प्रकरण क्रमांक 01/2013-14 अपील में आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश दिनांक 29-3-2014 पारित किया तथा तहसीलदार कराहल व्दारा प्रकरण क्रमांक 40 अ-19/ 2004-05 में पारित आदेश दिनांक 2-6-2005 निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ तर्को के दौरान शासन के पैनल लायर ने आपत्ति की कि तहसील न्यायालय का मूल प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-4 के अंतर्गत भूमि बंटन का है इसलिये भूमि बंटन आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल को सुनवाई के अधिकार नहीं है। आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के नियम मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 से शासित होते हैं इसलिये राजस्व मण्डल को भूमि विवाद सुनने के अधिकार है।

उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में विचार विचार योग्य है कि क्या राजस्व मण्डल को राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत अपील/निगरानी सुनने के अधिकार है अथवा नहीं ? **मान0 उच्च न्यायालय व्दारा बानमोर सीमेंट वर्क्स लिमि0 (मेस0) मुरैना विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य 2012 रा0नि0 385 में व्यवस्था दी है कि -**

" Maintainabillty of appeal – order passed by Revenue Officer under provision of M.P.Revenue Book Circulars- appeal against such order is maintainable before Board of Revenue.

अतएव राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत विचारित कार्यवाहियों में राजस्व अधिकारियों व्दारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपील/निगरानी सुनने की अधिकारिता राजस्व मण्डल को है। राजस्व मामलों के निराकरण के लिये राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश शासन का सर्वोच्य अॅग है जिसके कारण पैनल लायर का तर्क बेबुनियाद है।

5/ उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार कराहल व्दारा प्रकरण कमांक 40 अ-19/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 2-6-2005 से ग्राम गोवर्धा खुर्द में कुल 10 भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया है जिनमें से आवेदकगण के हित में निम्नानुसार भूमि आवंटित है -

1- सरबजीत कौर पत्नि मेजर सिंह जाट स0नं.1/10 रकबा 9 वीघा
2- अमरजीत कौर पत्नि गुरूचरण सिंह स0नं0 1/10 रकबा 9 वीघा
3- बलजीत कौर पत्नि महेन्द्र सिंह स0नं0 1/10 रकबा 9 वीघा
4- कु0महेन्द्र सिंह पुत्री प्रीतम सिंह सैनी स0नं01/10 रकबा 9 वीघा
5- गुरूचरण सिंह पुत्र प्रीतम सिंह सेनी स0नं0 1/10 रकबा 9 वीघा
6- रामकिशन पुत्र सज्जन सिंह कुम्हार स0नं0 1/10 रकबा 9 वीघा

आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में व्यक्त किया कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 2-6-05 से किये गये उक्तानुसार भूमि आवंटन को अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आदेश दिनांक 29-3-2014 से अर्थात 8 वर्ष 9 माह वाद एकपक्षीय आदेश पारित करके निरस्त किया है एंव तामील कुनिन्दा व्दारा सूचना पत्रों का समुचित निर्वहन न कराते हुये फर्जी टीपें गॉव में न रहने की लगाई हैं जबकि आवेदकगण पटटे पर भूमि प्राप्त करने के वाद निरन्तर खेती करते आ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि गॉव में समाचार पत्र जाते ही नहीं हैं परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। भूमि आवंटन में प्राप्त करने के वाद हलका पटवारी एंव राजस्व निरीक्षक

ने पट्टाग्रहीताओं को मौके पर जाकर भूमि नापकर कब्जा प्रदान किया है एंव चतुर्सीमायें बताई है तभी से आवेदकगण निरन्तर खेती आ रहे हैं। पट्टा प्राप्ति के वाद आवेदकगण ने उबड़-खाबड़ भूमि को समतल बनाने में, गोवर आदि का खाद डालकर उपजाउ बनाने में, पानी की सुविधा के लिये चारों ओर बन्धान बनाने में तथा सिंचाई का साधन करने में काफी श्रम एंव धन लगाया है इसी भूमि पर आवेदकगण के निवास भी बने हुए है। यदि आवेदकगण से वादग्रस्त भूमि छीन ली गई तब उनके परिवार भूॅखों मरने की स्थिति में आ जावेंगे। आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर यदि मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय -

1. **इन्दर सिंह तथा अन्य विरूद्व म0प्र0राज्य 2009 रा0नि0 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती - क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गल्तियॉ की गई - प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आबंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।**
2. **देवी प्रसाद विरूद्व नाके 1975 J.L.J. 155= 1975 R.N. 67 = 1975 R.N. 208 में निर्धारित किया गया है कि भूमि का आवंटन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटिती को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त। तत्पश्चात् आवंटन रद्व नहीं किया जा सकता।**

परन्तु अनुवभागीय अधिकारी कराहल ने आदेश दिनांक 29-3-14 पारित करते समय उक्त की अनदेखी की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ अनुविभागीय अधिकारी कराहाल ने आदेश दिनांक 29-3-14 में विवेचित किया है कि तहसीलदार कराहल के आदेश दिनांक 2-6-2005 से हुये आवंटन का कम्प्यूटराईज्ड खसरे में अमल वर्ष

2011-12 में कराया गया है जिसे उन्होंने त्रृटिपूर्ण कार्यवाही माना है।

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 114,115 - भू अभिलेख अद्यतन रखने की प्रकिया - राजस्व अधिकारियों का दायित्व है कि वह भू अभिलेख वर्ष-दर-वर्ष अद्यतन रखे। भू अभिलेख अद्यतन रखने का दायित्व राजस्व अधिकारियों का है - भूमिस्वामी का नहीं।

स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी व्दारा कम्प्यूटराईज्ड खसरे में भूमि आवंटन के वाद खसरे में अमल न कराने की जिम्मेदारी आवंटितयों पर डालते हुये आवेदकगण के हित में हुये पटटों को 8 वर्ष 9 माह वाद निरस्त करना उचित नहीं माना जा सकता, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 01/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-3-2014 आवेदकगण के हित तक का अॅश भाग निरस्त किये जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 01/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-3-2014 आवेदकगण के हित तक त्रृटिपूर्ण होने से अॅशतः निरस्त किया जाता है एंव तहसीलदार कराहल व्दारा प्रकरण कमांक 40 अ-19/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 2-6-2005 आवेदकगण के हित तक यथावत् रखते हुये आवंटित भूमि पर उनका नाम पूर्ववत् दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर